...पत्रक —ता०
...ला लातेहार
...स का प्रकार

आदेश पत्रक

से .... तक

वाद सं० 27 सन् 2023–24

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
10.6.23	आज दिनांक 10.6.23 आवेदक श्री [illegible] बिज- [illegible] टैगोर [illegible] ग्राम- [illegible] के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राँची की द्वारा रिट [illegible] 6367 of 2022 के पारित आदेश की आलोक में मौजा- [illegible] C.S (खाता)- 291, प्लाट- 2168, 11 acre, प्लाट न०. 2283, रकबा- 2.22 acre, प्लाट न० - 2172. area 11.04 acre, plot no.- 2244 acre 1. acre, plot no. 2237 acre 1.00 [illegible] दाखिल खारिज करने हेतु आवेदन दिया है। इनके द्वारा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के द्वारा [illegible] [illegible] के पारित 2885/50 के पारित आदेश [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] दिनांक 1.9.215, [illegible] दिनांक 19.7.17, [illegible] [illegible] [illegible] के [illegible] 1114 दिनांक 1.10.2015, [illegible] 505. दिनांक 24.11.15 इत्यादि [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।	

05 August 2024 2:44 pm
Scanned with CamScanner

ी और	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3
23	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्षकार उपस्थित। वाद में पूर्व से आदेश हेतु तिथि निर्धारित थी। इस वाद का आरम्भ माननीय उच्च न्यायालय, रांची के रिट संख्या– रिट संख्या– 6367 of 2022 में पारित आदेश के आलोक में की गई। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट किया गया था कि चार सप्ताह के अन्तर्गत REASONED ORDER पारित करें। आवेदक के द्वारा 10.06.2023 को माननीय उच्च न्यायालय रांची के रिट संख्या 6367 of 2022 में पारित आदेश की सत्यापित प्रति के साथ आवेदन उपलब्ध कराया गया। आवेदक इसराफिल अंसारी पिता खैरून अंसारी ग्राम बसिया के द्वारा अपने आवेदन पत्र में बताया है कि सी0एस0 खाता 69 सी0एस0 1422, 1490, 1510, 1535, 1537 कुल रकबा 26.26 एकड़ भूमि सादा हुकुमनामा से भूमि प्राप्त हुआ है और हमारा लगान रसीद अंचल कार्यालय से कट रहा है। उक्त भूमि का हाल सर्वे में अनावाद बिहार सरकार खाता 271 कर दिया गया है। राजस्व वाद 2815/1990 में आदेश पारित है कि आर0एस0 खाता 271 में संशोधन करते हुए खतियान खैरून अंसारी के नाम से समझा जाए। लगान रसीद अद्यतन कराने हेतु आयुक्त कार्यालय, पलामू का पत्रांक 790 दिनांक 01.09.2015, पत्रांक 648 दिनांक 18.07.2017, अपर समाहर्त्ता, लातेहार के पत्रांक 1111 दिनांक 01.10.2015, पत्रांक 909 दिनांक 24.10.2019 इत्यादि को साक्ष्य के रूप में प्रथम पक्षकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। सम्पूर्ण लातेहार जिला में रिविजन सर्वे वर्ष 2005 से लागू है।	

Scanned with CamSc

करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये है।

भारत सरकार के अधिसूचना संख्या 3155 दिनांक 04.10.1962 के द्वारा मौजा बसिया खाता संख्या 69 प्लॉट 1422, 1490, 1535, 1537, 1510 भूमि पर C.B. Act 1957 लागू है तथा ये सम्पूर्ण क्षेत्र सी0सी0एल0 क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जिस पर खनन कार्य की जा रही है या भविष्य में की जाएगी। ऐसी परिस्थिति में C.B. Act 1957 लागू है वहां सम्पूर्ण भूमि की खरीद–बिक्री तथा सम्पूर्ण राजस्व कार्य बंद हो जाता है। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए प्रथम पक्षकार को आर0एस0 पंजी–2 का जमाबंदी कायम करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

प्रथम पक्षकार इसराफिल अंसारी के द्वारा 10.06.2023 को जो भी पत्र साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराये गये उन सभी का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि किसी भी पत्र में किसी भी पदाधिकारी का स्पष्ट निदेशित नहीं किया गया है कि आवेदक का लगान रसीद अद्यतन किया जाय। पदाधिकारी के द्वारा अंचल अधिकारी तर्क संगत आदेश निर्गत किया जाय।

माानीय उच्च न्यायालय के द्वारा रिट संख्या 6367 of 2022 में REASONED ORDER में निदेशित किया गया था । उपरोक्त सारे बिन्दुओं को तार्किक रूप स्पष्ट करते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूँ कि आवेदक इसराफिल अंसारी के द्वारा मौजा बसिया खाता 69 प्लॉट 1422, 1490, 1535, 1537, 1510 कुल रकबा 26.26 एकड़ में जो आर0एस0 खाता 271 प्लॉट संख्या– 2167, 2172, 2237, 2244, 283 कुल रकबा 26.26 एकड़ में जमाबंदी अद्यतन करने के लिए आवेदन समर्पित किये गये उस आवेदन में जमाबंदी अद्यतन करना विधि सम्मत नहीं है। आवेदक पूर्व में विभिन्न अंचल अधिकारी के समक्ष उक्त कार्य के संबंध में आवेदन देते आये है परन्तु इस कार्य के लिए

05 August 2024 2:48 pm
Scanned with CamScanner

लातेहार जिला में भूमि संबंधी निबंधन, दाखिल खारिज इत्यादि का कार्य रिविजन सर्वे में दर्ज खतियान एवं पंजी–II (आर0एस0 खतियान एवं पंजी–II) होता है। चूंकि मौजा बसिया में सी0एस0 खाता 69 का आर0एस0 खाता 271 बना है जो अनावाद बिहार सरकार की श्रेणी में दर्ज पाया गया है (अंचल अमीन द्वारा सत्यापित है)। इसलिए उक्त खाता जिसके नाम से प्रकाशित हुआ है उसी को आधार मानकर कोई भी राजस्व कार्य सम्पादित करने की बाध्यता है। आवेदक के द्वारा बन्दोबस्त न्यायालय का राजस्व वाद 2835/90 के द्वारा प्रतिवादी बनकर आदेश अपने पक्ष में पारित करवाये है और साक्ष्य भी उनके द्वारा दिया गया है उक्त साक्ष्य का गंभीरता पूर्वक अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि मध्यवर्ती जमीन्दार लाल विश्वनाथ शाहदेव के द्वारा खैरून मोहम्मद पिता हनिफ मोहम्मद को पट्टा दिनांक 11.02.1946 को दिया गया है। जबकि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक 2861 दिनांक 08.06.2017 में स्पष्ट वर्णन है कि 01.01.1946 से पूर्व जमीन्दार द्वारा गैरमजरूआ मालिक का भूमि अंतरण या बंदोबस्ती ही वैद्य माना जाएगा। इससे स्पष्ट है कि प्रथम पक्षकार को प्राप्त बंदोबस्त पट्टा/फर्जी है। सी0एन0टी0 1908 की धारा 87 में एक पक्षीय पारित आदेश के विरूद्ध अंचल अधिकारी के द्वारा व्यवहार न्यायालय लातेहार में अपील वाद दायर किया गया है। उक्त अपील वाद में माननीय व्यवहार न्यायालय के द्वारा पारित आदेश से मेरा यह आदेश प्रभावित होगा।

प्रथम पक्षकार के द्वारा पत्र के माध्यम से बंदोबस्त पट्टा/जमीन्दारी रसीद/वर्ष 1955–56 के बाद से वर्ष 2014 तक ऑफलाईन लगान रसीद की मांग की गई, परन्तु प्रथम पक्षकार के द्वारा कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जो उनके तर्क को मजबूती प्रदान करता है।

Scanned with CamScanner

चूँकि सरकार के पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 01.01.1946 के पूर्व का बंदोबस्त पट्टा या सादा हुकुमनामा होना चाहिए, 1955–56 के पूर्व तक जमीन्दारी रसीद होना चाहिए तथा उसके बाद तक अंचल कार्यालय से लगान रसीद होना चाहिए, परन्तु इनके द्वारा मात्र कुछ वर्षों का लगान रसीद की प्रति उपलब्ध करायी गयी है। उक्त लगान रसीद सी0एस0 खाता पंजी–2 के आधार पर विभिन्न वर्षों में राजस्व कर्मचारियों के द्वारा निर्गत किया गया है। अंचल कार्यालय के पत्रांक 656 दिनांक 26.06.2023 के द्वारा राजस्व उप निरीक्षक से सम्पूर्ण बिन्दुओं पर जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि सी0एस0 पंजी–2 में खैरून अंसारी के नाम से जो खाता, प्लॉट, रकबा इन्द्राज किया गया है वह संदेहास्पद प्रतीत होते है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा बसिया के सी0एस0 खाता 69 गैरमजरूआ श्रेणी की भूमि है और वर्तमान में यह भूमि अनावाद बिहार सरकार (गैरमजरूआ) श्रेणी में दर्ज पायी गयी है। ऐसे स्थिति में आवेदकगण के नाम से पंजी–2 अद्यतन करते हुए ऑनलाईन रसीद निर्गत करना कतई उचित प्रतीत नहीं होता है।

प्रश्नगत भूमि का क्षेत्र भ्रमण के क्रम में पाया गया कि सी0एस0 खाता 69 सी0एस0 प्लॉट 1422, 1490, 1535, 1537, 1510 में बसिया पंचायत में निवास करने वाले कई रैयतों यथा– सोमो देवी पति जीतु उरांव, फागु उरांव पिता बुधन मोदी, भुटकी देवी, जीतु उरांव पिता सुकरा उरांव व अन्य के नाम से भूमि की बंदोबस्ती की गई है तथा कुछ रैयतों को उसी खाते एवं प्लॉट में भूमि हुकुमनामा से प्राप्त है और इन सभी रैयतों के द्वारा सी0एस0 खाता का लगान रसीद भी अंचल से निर्गत होते आया है अर्थात ये सभी भी खाता 69 के पंजी–2 के रैयत है और ये लोग भी आर0एस0 खाता से लगान रसीद निर्गत

Scanned with CamScanner

स्वत्व वाद दायर हेतु व्यवहार न्यायालय में अपील नहीं किय है जबकि इनको निदेशित किया गया है कि उक्त मामले में माननीय व्यवहार न्यायालय लातेहार में अपील करें या टाईटल सूट में जाए ताकि उचित कारवाई की जा सके। वर्तमान समय में प्रथम पक्ष के समर्थन में जमाबंदी कायम करना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होती है। मेरा यह आदेश अभिलेख में उपस्थापित राजस्व उप निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन, एवं अन्य राजस्व दस्तावेजों के आधार पर है। मेरे निर्णय के विरूद्ध प्रथम पक्षकार इसराफिल अंसारी सक्षम न्यायालय में अपील वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है।

मेरे इस निर्णय से सभी पक्षकारों, थाना प्रभारी, थाना बालूमाथ एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार को अवगत करायें।

लेखापित एवं संशोधित।

10/7/23

अंचल अधिकारी,
बालूमाथ।

10/7/23

अंचल अधिकारी,
बालूमाथ।

Digitally signed by TRIPTI VIJAYA KUJUR
Date: 2024.08.05 16:39:25 +05:30
Location: 192.168.132.250

Scanned with CamScanner